

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग-2
संख्या- 367/I(2)/2026-05-04/2025(E-90770)
देहरादून: दिनांक 19 मई, 2026

कार्यालय ज्ञाप

श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० (यू०पी०सी०एल०) में प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण नियमावली, 2026 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

'उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० में प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2026'

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली 'उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० में प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2026' कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 8 के खण्ड (ख) एवं (ग) का प्रतिस्थापन-

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० (यू०पी०सी०एल०) में प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2026 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए वर्तमान नियम 8 के खण्ड (ख) एवं (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

पदनाम	नियम-8	स्तम्भ-1 (वर्तमान खण्ड)	स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
निदेशक (कॉमर्शियल एवं एनर्जी अकाउन्टिंग) यूपीसी एल वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-16 -182200-224100	8(ख) अनुभव	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को कार्य का न्यूनतम 15 से 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। विद्युत वितरण/पारेषण के परिचालन व अनुरक्षण का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। विद्युत वितरण/पारेषण के परिचालन व अनुरक्षण का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।
	8(ख) सेवा का स्तर 1	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों में निदेशक मण्डल में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर मौलिक रूप	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों/संस्थाओं में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं

		से कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।	उच्चतर पदों पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।
सेवा का स्तर 3		उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर-2/महाप्रबन्धक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।	उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थाओं में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।
निदेशक (डिस्ट्रीब्यूशन एवं प्रोजेक्ट) यूपीसीएल वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-16- 182200-224100	8(ग) अनुभव	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का 15-17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा, शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा।	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा।
	8(ग) सेवा का स्तर 1	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों में निदेशक मण्डल में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर मौलिक रूप से कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों/संस्थाओं में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।
सेवा का स्तर 3		उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर-2/महाप्रबन्धक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।	उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थाओं में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 367 / I(2)/2026-05-04/2025(E-90770), तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल/पिटकुल/यूजेवीएनएल, देहरादून।
7. मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(एन०एस०डुगरियाल)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग-2
संख्या- 368/I(2)/2026-05-04/2025(E-87962)
देहरादून: दिनांक 19 मई, 2026

कार्यालय ज्ञाप

श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० में प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण नियमावली, 2026 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

‘उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० में प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2026’

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली ‘उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० में प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2026’ कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 8 के खण्ड (ख), (ग) एवं (ड.) का प्रतिस्थापन-

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० में प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2026 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए वर्तमान नियम 8 के खण्ड (ख), (ग) एवं (ड.) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

पदनाम	नियम-8	स्तम्भ-1 (वर्तमान खण्ड)	स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
निदेशक (परिचालन), यू०जे०वी० एन०एल० वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 16-182200-224100	8(ख) अनुभव	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 15 से 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। विद्युत वितरण/पारेषण के परिचालन व अनुक्षण का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। विद्युत वितरण/पारेषण के परिचालन व अनुक्षण का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

	8(ख) सेवा का स्तर 1	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों में निदेशक मण्डल में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर मौलिक रूप से कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों/संस्थाओं में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।
	8(ख) सेवा का स्तर 3	उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर-2/महाप्रबन्धक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।	उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थाओं में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।
निदेशक (परियोजना), यू0जे0वी 0एन0एल0 वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-16-182200-224100	8(ग) अनुभव	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 15 से 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा।	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा।
	8(ग) सेवा का स्तर 1	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों में निदेशक मण्डल में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर मौलिक रूप से कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।
	8(ग) सेवा का स्तर 3	उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के पद पर	उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2/महाप्रबन्धक एवं

		न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर-2/महाप्रबन्धक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।	उच्चतर पदों पर कार्यरत पात्र होंगे।
निदेशक (मानव संसाधन), यू0जे0वी0ए न0एल0 वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 16-182200-224100	8(ड.) अनुभव	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को मानव संसाधन/प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 15 से 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा।	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को मानव संसाधन/प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा।
	8(ड.) सेवा का स्तर 1	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों में निदेशक मण्डल में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर मौलिक रूप से कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।
	8(ड.) सेवा का स्तर 3	उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर-2/महाप्रबन्धक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।	उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थाओं में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।


(आर0 मीनक्षी सुन्दरम)
 प्रमुख सचिव।

संख्या : 368 / I(2)/2026-05-04/2025(E-87962), तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल / पिटकुल / यूजेवीएनएल, देहरादून।
7. मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एन0एस0डुगसियाल)

संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग-2
संख्या- 369 /1(2)/2026-05-04/2025(E-87960)
देहरादून: दिनांक 19 मई, 2026

कार्यालय ज्ञाप

श्री राज्यपाल, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पिटकुल) में प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण नियमावली, 2026 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

‘पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2026’

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली ‘पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2026’ कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 8 के खण्ड (ख), (ग) एवं (घ) का प्रतिस्थापन-

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में प्रबन्ध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशकों के चयन एवं नियुक्ति हेतु प्रक्रिया निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2026 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए वर्तमान नियम 8 के खण्ड (ख), (ग) एवं (घ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

पदनाम	नियम	स्तम्भ-1 (वर्तमान खण्ड)	स्तम्भ-2 (एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
निदेशक (परियोजना), पिटकुल वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-16- 182200- 224100	नियम-8 (ख) अनुभव	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 15 से 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा।	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा।
	8(ख) सेवा का स्तर 1.	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों में निदेशक मण्डल	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों/संस्थानों में मौलिक

		में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर मौलिक रूप से कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।	रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।
	8(ख) सेवा का स्तर 3	उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर-2/महाप्रबन्धक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।	उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।
निदेशक (परिचालन), पिटकुल वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 16-182200-224100	8(ग) अनुभव	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 15 से 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। विद्युत वितरण/पारेषण के परिचालन व अनुक्षण का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा।	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को ऊर्जा क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा। विद्युत वितरण/पारेषण के परिचालन व अनुक्षण का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।
	8(ग) सेवा का स्तर 1	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों में निदेशक मण्डल में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर मौलिक रूप से कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों/संस्थाओं में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।

2

	8(ग) सेवा का स्तर 3	उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर-2/महाप्रबन्धक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे।	उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थाओं में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।
निदेशक (मानव संसाधन), पिटकुल वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 16- 182200-224100	8(घ) अनुभव	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को मानव संसाधन/प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 15 से 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जिसमें से न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता या समकक्ष पद पर मौलिक रूप से नियुक्त अधिकारी के रूप में अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा।	विज्ञापन की तिथि को अभ्यर्थी को मानव संसाधन/प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य का न्यूनतम 17 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता के बाद का अनुभव कार्यानुभव के रूप में आगणित होगा।
	8(घ) सेवा का स्तर 1	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों में निदेशक मण्डल में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर मौलिक रूप से कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।	उत्तराखण्ड राज्य के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।
	8(घ) सेवा का स्तर 3	उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थानों में मौलिक रूप से नियुक्त अधिशासी निदेशक/मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के पद पर न्यूनतम 01 वर्ष एवं मुख्य अभियन्ता स्तर-2/महाप्रबन्धक के पद पर न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव	उत्तराखण्ड राज्य के बाहर विभिन्न राज्यों के निगमों/संस्थाओं में मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियन्ता स्तर-2/महाप्रबन्धक एवं उच्चतर पदों पर कार्यरत अभ्यर्थी पात्र होंगे।

		रखने वाले अभ्यर्थी पात्र होगे।	
--	--	-----------------------------------	--

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 369 / I(2)/2026-05-04/2025(E-87960), तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
6. प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल/पिटकुल/यूजेवीएनएल, देहरादून।
7. मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से/

(एन०एस०डुंगरियाल)
संयुक्त सचिव।